

पटना में दिनांक-02 जनवरी, 2014 वृहस्पतिवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

पर्यटन विभाग

1. बिहार पर्यटन संवर्ग नियमावली, 2013 का गठन । 1. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

2. पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सम्मर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) सेवा नियमावली, 2013 के गठन संबंध में। 2. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3. डा० (श्रीमती) मीनाक्षी कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबुबरही, मधुबनी को अनाधिकृत अनुपस्थिति (5 (पाँच) वर्षों से अधिक) के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव। 3. स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. बिहार कृषि सेवा के विभिन्न कोटि के वर्ग-2 एवं वर्ग-1 के पदों के सृजन, पदनाम में सम्परिवर्तन एवं अतिरिक्त पदों का प्रत्यार्पण। 4. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी)

5. बिहार राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता के उपयोग हेतु आग्नेयास्त्र, गतिशिलता, संचार, निगरानी उपकरण, डोंग दस्ता हेतु प्रशिक्षित डोंग, कार्यालय स्वचालन, जेनरेटर, बम डिसपोजल/एन्टी सबोटेज उपकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरण, चिकित्सा दल के लिए उपकरण आदि के क्रय से संबंधित नई योजना लागत राशि ₹ 2588.74 लाख (पच्चीस करोड़ अठासी लाख चौहत्तर हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 5. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा पहाड़ी (पटना-गया रोड) थाना नं०-14 में सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर नये बस टर्मिनल के निर्माण हेतु "हडको" से बैंक गारंटी के विरुद्ध ₹ 220.51 करोड़ (दो सौ बीस करोड़ एकावन लाख) ऋण प्राप्त कर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा नये बस टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन हेतु 6548.30 लाख रु० (षैंसठ करोड़ अड़तालीस लाख तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड को कुल ₹ 4,59,82,000/- (चार करोड़ उनसठ लाख बेशसी हजार रूपये) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. सारण जिलान्तर्गत मशरख अंचल के ग्राम-गंडामन, थाना सं०-95, खाता सं०-203, खेसरा सं०-733 में से रकबा-1.12 एकड़ भूमि, जो खतियान में गैर मजरूआ आम किस्म सतीवार करके दर्ज है एवं जो वर्तमान में परती है को उच्च विद्यालय गंडामन के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण। 9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ अंचल के मौजा-पकरीबराँवा, थाना सं०-45, खाता सं०-2616, खेसरा सं०-10767, रकबा-1.00 (एक) एकड़ किस्म पुरानी परती, अनाबाद बिहार सरकार भूमि, बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को निःशुल्क, स्थायी एवं अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण। 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल के मौजा- भेलागुड़ी, थाना सं०-226, खाता सं०-119, खेसरा सं०-2317, 2318, 2398, 2399, 2221 क्रमशः रकबा-0.19 एकड़ 0.24 एकड़, 0.09 एकड़, 0.15 एकड़, 0.31 एकड़ किस्म जमीन क्रमशः गढ़ा पुरानी परती, गढ़ा पुरानी परती, नाला कुल 0.98 एकड़, गैर मजरूआ खास, बिहार सरकार भूमि 3,62,600 (तीन लाख बासठ हजार छः सौ) रु० सलामी एवं सलामी राशि के 5 प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा अर्थात् 4,53,250 (चार लाख तिरपन हजार दो सौ पचास) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 8,15,850 (आठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ पचास) रूपया के भुगतान पर 36वीं बटालियन एस०एस०बी०, भेलागुड़ी कैम्प के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण। 11. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

12. दिनांक-24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण जिला के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक-05.01.2014 से दिनांक-04.01.2015 तक अवधि विस्तार के संबंध में।
12. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

13. सैयद शमीम अख्तर, सेवानिवृत्त, उपनिदेशक, जो दिनांक-01.01.2013 से दिनांक-31.12.2013 तक संविदा के आधार पर नियोजित एवं माननीय मुख्यमंत्री के जन-सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं की सेवा एक वर्ष (दिनांक-01.01.2014 से 31.12.2014 तक) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि विस्तार करने के संबंध में।
13. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

14. बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमतावर्द्धन घटक हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना के आलोक में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में कुल ₹ 38.00 करोड़ (अड़तीस करोड़) रूपये का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।
14. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

15. मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के गाँवों की गलियों एवं नालियों के पक्कीकरण तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कुल ₹ 37258.73 लाख (तीन अरब बहत्तर करोड़ अठावन लाख तिहत्तर हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति एवं अगले वित्तीय वर्ष से बजटीय उपबंध की सीमा के अंतर्गत राशि के व्यय करने की शक्ति पंचायती राज विभाग को प्रदान करने के संबंध में।
15. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

16. बिहार राज्य में विद्युत संचरण प्रणाली स्थापित करने के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० का संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारकों के बीच अनुपूरक एकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।
16. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

17. पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना/लोकप्रिय व्यवसायों में नया यूनिट खोलने एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु० 26.73 लाख (छब्बीस लाख तीहत्तर हजार) मात्र के व्यय पर 14 व्यवसाय अनुदेशक के पद सृजन के स्वीकृति के संबंध में।
17. स्वीकृत।